

आर0ई0आर0- 251 / 16-17

बजरंगी मिर्धा बनाम् विजय साह वगै0

12-17

## -: आदेश :-

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक बजरंगी मिर्धा, पे0-स्व0 रामेश्वर मिर्धा, सा0- सरवा, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा ने मौजा-डुमरिया नं0-01, जमाबंदी नं0-13, दाग नं0-733, 734 एवं 735 के अंदर रकवा-00-18-03 धूर भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु आवेदन दिया है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता बहस हेतु तैयार नहीं।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा-डुमरिया नं0-01, जमाबंदी नं0-13, दाग नं0-733, 734 एवं 735 के अंदर रकवा-01-11-03 धूर भूमि से संबंधित विद्वान उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0-66/11-12 विजय साह वगैरह बनाम शिव प्रसाद मिर्धा वाद विचानाधीन है, जिसमें विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा आर0ई0आर0 वाद सं0-97/08-09 में पारित आदेश पर अपील दायर किया गया है। आवेदक द्वारा इस तथ्य को न्यायालय से छुपाया गया है। अतः उक्त वाद के आधार पर इस न्यायालय में चल रहे वाद की कार्रवाई स्थगित करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी की ओर से दाखिल कागजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवादित भूमि से संबंधित विद्वान उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में वाद लंबित है। C.P.C. 1908 की धारा 10 के अनुसार Stay of suit- No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other Court in India having Jurisdiction to grant the relief claimed, or in any Court beyond the limits of India established or continued by the Central Government and having like Jurisdiction, or before the Supreme Court.

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद की प्रक्रिया स्थगित की जाती है।

लेखापित।

*[Signature]*  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।

*[Signature]*  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।

Seen  
15/12/2017  
Adv.

Seen  
15/12/17  
Adv.

*[Signature]*

अधिवक्ता

*[Signature]*  
Adv.